न्यायालय सहायक कलक्टर, रियांबडी (नागौर)
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा,आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या : 238/2017

वादी
1—शिवलाल पुत्र रामूराम
जाति जाट निवासी भंवाल तहसील रियांबड़ी जिला नागौर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :—
1—छोटुराम पुत्र रामूराम
2—गुदड़राम/रामूराम
सभी जाति जाट निवासी भंवाल तहसील रियांबड़ी
7—तहसीलदार रियांबड़ी
8—पटवारी हलका भंवाल तहसील रियांबड़ी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा अंतर्गत धारा 88,53,आरटीएक्ट 1955

वकील वादी—श्री कैलाशराम कलवानियां
वकील प्रतिवादीगण—श्री घनश्याम खालिया

निर्णय

दिनांक :— 13.10.2017

वादी की ओर से निम्न वाद पेश करता है :—

1—यह है कि वादी व प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गर्वन होते है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सगे भाई है।
2—यह है कि ग्राम भंवाल की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 73 रकबा 2.13 हैक्टर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम से खातेदारी में स्थित है। व खसरा नंबर 10 रकबा 1.33 हैक्टर,खसरा नंबर 39 रकबा 1.43 हैक्टर, खसरा नंबर 363 रकबा 3.96 हैक्टर वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से खातेदारी में स्थित है। जो वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक शह खातेदारी की भूमि है।
3—यह है कि पेरा नंबर 2 में वर्णित खसरान की भूमि वाद में आगे विवादित खसरान से सम्बोधित की जायेगी।
यह है कि उपरोक्त खसरान का बंटवारा पक्षकारान ने अलग अलग हुए तब जुबानी रूप से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कर लिया जो निम्न प्रकार से है।
1—वादी शिवलाल के बंट में रखी गई आराजी का विवरण—
मौजा भंवाल के खसरा नंबर 73 रकबा 2.13 हैक्टर में सें रकबा 0.65 हैवटर व खसरा नंबर 39 रकबा 1.43 हैक्टर में सें रकबा 0.90 हैक्टर व खसरा नंबर 363 रकबा 3.96 हैक्टर मे सें रकबा 1.32 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार रहेगा।
2—प्रतिवादी संख्या 1 छोटुराम के बंट में रखी गई आराजी का विवरण—

सहायक कलक्टर
रियांबड़ी(नागौर)

मौजा भंवाल के खसरा नंबर 73 रकबा 2.13 हैक्टर में सें रकबा 1.48 हैक्टर व खसरा नंबर 39 रकबा 1.43 हैक्टर में सें रकबा 0.48 हैक्टर,खसरा नंबर 10 रकबा 1.33 हैक्टर में से रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नंबर 363 रकबा 3.96 हैक्टर मे सें रकबा 1.28 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार रहेगा।

3–प्रतिवादी संख्या 2 गुदड़राम के बंट में रखी गई आराजी का विवरण–

मौजा भंवाल के खसरा नंबर 10 रकबा 1.33 हैक्टर में सें रकबा 0.90 हैक्टर व खसरा नंबर 363 रकबा 3.96 हैक्टर मे सें रकबा 1.32 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार रहेगा।

4–वादी व प्रतिवादी संख्या 1 छोटुराम व प्रतिवादी संख्या 2 गुदड़राम के रास्ता हेतू सामलाती बंट में।

मौजा भंवाल के खसरा नंबर 39 रकबा 1.43 हैक्टर में सें रकबा 0.0600 हैक्टर रास्ता हेतू सामलाती बंट में माफिक नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रहेगा।

5–वादी व प्रतिवादी संख्या 1 छोटुराम व प्रतिवादी संख्या 2 गुदड़राम के रास्ता हेतू सामलाती बंट में।

मौजा भंवाल के खसरा नंबर 363 रकबा 3.96 हैक्टर में सें रकबा 0.0500 हैक्टर रास्ता हेतू सामलाती बंट में माफिक नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रहेगा।

उपरोक्त मुतनाजा आराजी का बंटवारा वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में बताये अनुसार किया जाकर वाद के साथ नजरी नक्षा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का अलग अलग बंट किया जाकर अलग अलग खातेदारी घोषित फरमायी जावें। व अलग अलग तरमीम किया जावें।

5–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपनी अपनी बंट की भूमि पर काश्त काबिज है और सीवें माठें कायम की हुई है। वादी व प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी में माफिक बंट के नहीं होने से वादी को भारी परेषानियों को सामना पड़ रहा है।

6–यह है कि उपरोक्त खसरान का बंटवारा जुबानी रूप से पक्षकारान ने कर लिया। मगर कानूनी रूप से बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ। जिससे अभी तक माफिक बंट के अलग अलग खातेदारी का इन्द्राज नहीं हुआ है। इसलिए वादी यह बंटवारा का वाद पेष कर रहा है

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन जवाब तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर निवेदन कि हमने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना राजीनामा कर लिया है इसलिए वाद के अनुसार हमारा बंटवारा कर दिया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में बताया कि पक्षकारान की वादग्रस्त भूमि पैतृक है और उन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। जिसका बंटवारा काशत कब्जा के आधार पर करवाना चाहते है। क्योंकि अभी खातेदारी संयुक्त रूप से चल रही है। जिससे भारी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाना चाहते है। पक्षकारान अपने अपने हिस्से में राजीनामा के अनुसार काश्त काबिज है और इसी अनुसार अपना बंटवारा करवाना चाहते है। इसलिए माफिक राजीनामा के बंटवारा किया जावें। पक्षकारान आपस में एक ही परिवार के सदस्य है। और सहमत भी है।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड जमाबंदीयां मौजा भंवाल संवत् 2072–75 व राजीनामा का अवलोकन से किया गया। जिससे विदित है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है और इसका बंटवारा करवाना चाहते है। पैतृक भूमि का बंटवाड़ा किये जाने में कोई आपत्ति नही है। तथा

सहायक कलेक्टर
रियाँबड़ी(नागौर)

छोटुराम बनाम शिवलाल

पक्षकारान के राजीनामा के अनुसार बंटवारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि पक्षकारान एक ही परिवार से है। समस्त विवेचन से वादी का वाद जरिए राजीनामा के डिक्री किया जाकर पक्षकारान के बीच निम्न प्रकार से खातेदारी घोषणा व बंटवाड़ा किया जाता है—

1—वादी शिवलाल के बंट में रखी गई आराजी का विवरण—
मौजा भंवाल के खसरा नंबर 73 रकबा 2.13 हैक्टर में सें रकबा 0.65 हैक्टर व खसरा नंबर 39 रकबा 1.43 हैक्टर में सें रकबा 0.90 हैक्टर व खसरा नंबर 363 रकबा 3.96 हैक्टर मे सें रकबा 1.32 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार रहेगा।

2—प्रतिवादी संख्या 1 छोटुराम के बंट में रखी गई आराजी का विवरण—
मौजा भंवाल के खसरा नंबर 73 रकबा 2.13 हैक्टर में सें रकबा 1.48 हैक्टर व खसरा नंबर 39 रकबा 1.43 हैक्टर में सें रकबा 0.48 हैक्टर,खसरा नंबर 10 रकबा 1.33 हैक्टर में सें रकबा 0.[illegible]2 हैक्टर व खसरा नंबर 363 रकबा 3.96 हैक्टर मे सें रकबा 1.28 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार रहेगा।

3—प्रतिवादी संख्या 2 गुदड़राम के बंट में रखी गई आराजी का विवरण—
मौजा भंवाल के खसरा नंबर 10 रकबा 1.33 हैक्टर में सें रकबा 0.90 हैक्टर व खसरा नंबर 363 रकबा 3.96 हैक्टर मे सें रकबा 1.32 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार रहेगा।

4—वादी व प्रतिवादी संख्या 1 छोटुराम व प्रतिवादी संख्या 2 गुदड़राम के रास्ता हेतू सामलाती बंट में।

मौजा भंवाल के खसरा नंबर 39 रकबा 1.43 हैक्टर में सें रकबा 0.0600 हैक्टर रास्ता हेतू सामलाती बंट में माफिक नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रहेगा।

5—वादी व प्रतिवादी संख्या 1 छोटुराम व प्रतिवादी संख्या 2 गुदड़राम के रास्ता हेतू सामलाती बंट में।

मौजा भंवाल के खसरा नंबर 363 रकबा 3.96 हैक्टर में सें रकबा 0.0600 हैक्टर रास्ता हेतू सामलाती बंट में माफिक नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रहेगा।

तहसीलदार उपरोक्तानुसार पक्षकारान के बीच बंटवाड़ा किया जाकर अलग अलग खातेदारी दर्ज की जाकर सेपरेट पजेशन कायम एंव लगान कायम करें, राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हों। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः उपरोक्त खसरान में से कोई भी खसरा किसी बैंक में रहन रखा हो तो यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी (नागौर)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी

निर्णय आज दिनांक 13.10.2017 को बइजलास खुले में सुनाया गया।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी (नागौर)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी

डिगरी बमूकद्दमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम रियाँबड़ी
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर ए एस

वादी
1—शिवलाल पुत्र रामूराम
जाति जाट निवासी भंवाल तहसील रियांबड़ी जिला नागौर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :—
1—छोटुराम पुत्र रामूराम
2—गुदड़राम / रामूराम
सभी जाति जाट निवासी भंवाल तहसील रियांबड़ी
7—तहसीलदार रियांबड़ी
8—पटवारी हलका भंवाल तहसील रियांबड़ी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व बंटवारा अन्तर्गत धारा 53,88 रा.का.अ. मुकद्दमात राजस्व वाद संख्या— 238 /2017 यह मुकदमा आज वास्ते अनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी....मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी गण मिनजानिब मुद्दयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि —

1—वादी शिवलाल के बंट में रखी गई आराजी का विवरण—
मौजा भंवाल के खसरा नंबर 73 रकबा 2.13 हैक्टर में सें रकबा 0.65 हैक्टर व खसरा नंबर 39 रकबा 1.43 हैक्टर में सें रकबा 0.90 हैक्टर व खसरा नंबर 363 रकबा 3.96 हैक्टर मे सें रकबा 1.32 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार रहेगा।
2—प्रतिवादी संख्या 1 छोटुराम के बंट में रखी गई आराजी का विवरण—
मौजा भंवाल के खसरा नंबर 73 रकबा 2.13 हैक्टर में सें रकबा 1.48 हैक्टर व खसरा नंबर 39 रकबा 1.43 हैक्टर में सें रकबा 0.48 हैक्टर,खसरा नंबर 10 रकबा 1.33 हैक्टर में सें रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नंबर 363 रकबा 3.96 हैक्टर मे सें रकबा 1.28 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार रहेगा।
3—प्रतिवादी संख्या 2 गुदड़राम के बंट में रखी गई आराजी का विवरण—
मौजा भंवाल के खसरा नंबर 10 रकबा 1.33 हैक्टर में सें रकबा 0.90 हैक्टर व खसरा नंबर 363 रकबा 3.96 हैक्टर मे सें रकबा 1.32 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा के अनुसार रहेगा।
4—वादी व प्रतिवादी संख्या 1 छोटुराम व प्रतिवादी संख्या 2 गुदड़राम के रास्ता हेतू सामलाती बंट में।
मौजा भंवाल के खसरा नंबर 39 रकबा 1.43 हैक्टर में सें रकबा 0.0600 हैक्टर रास्ता हेतू सामलाती बंट में माफिक नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रहेगा।
5—वादी व प्रतिवादी संख्या 1 छोटुराम व प्रतिवादी संख्या 2 गुदड़राम के रास्ता हेतू सामलाती बंट में।
मौजा भंवाल के खसरा नंबर 363 रकबा 3.96 हैक्टर में सें रकबा 0.0500 हैक्टर रास्ता हेतू सामलाती बंट में माफिक नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रहेगा।

सहायक कलक्टर
रियाँबड़ी(नागौर)

छोटूराम बनाम शिवलाल

तहसीलदार उपरोक्तानुसार पक्षकारान के बीच बंटवाड़ा किया जाकर अलग अलग खातेदारी दर्ज की जाकर सेपरेट पजेशन कायम एंव लगान कायम करें, राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

नोटः उपरोक्त खसरान में से कोई भी खसरा किसी बैंक में रहन रखा हो तो यथावत रहेगा।

..................लीत.....................मुबलिक...............बाबात.............खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.... ....फिस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयोबो तक...............का अदा करें।

बरोब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख :– 13/10/17

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी

सहायक कलक्टर रियांबड़ी (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायला	रूपय	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकलत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजड साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीष्नर		
फीस कमीष्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मीजान			मुतफरिंक		
मुतफरिंक			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकेन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी

सहायक कलक्टर रियांबड़ी (नागौर)